



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

21 भाद्र, 1944 (श०)

संख्या - 441 राँची, सोमवार, 12 सितम्बर, 2022 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

25 अगस्त, 2022

संख्या-5/आरोप-1-7/2017-8684 (HRMS)--श्री संजय पी०एम० कुजूर, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-782/03, गृह जिला- राँची), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, घाघरा, गुमला के विरुद्ध ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-3276, दिनांक 26.12.2016 के माध्यम से उप विकास आयुक्त, गुमला के पत्रांक-1176(ii)/म०को०, दिनांक 26.11.2016 द्वारा प्रपत्र-‘क’ में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया है, जिसमें इनके विरुद्ध मुख्य कार्यक्रम पदाधिकारी होने के नाते मनरेगा अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुरूप प्रखण्ड अन्तर्गत चल रही मनरेगा योजनाओं में सतत् निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण का दायित्व था, जिसका निर्वहन नहीं करना, नरेगा योजना अन्तर्गत कार्यरत स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा कराये जा रहे वृक्षारोपण कार्य का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण में लापरवाही एवं मनरेगा दिशा-निर्देश का अनुपालन सही ढंग से नहीं करने तथा इस प्रकार उक्त स्वयं सेवी संस्थाओं को बड़ी राशि के गबन में सहयोग प्रदान करने, नरेगा योजना अन्तर्गत कार्यरत स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा कराये जा रहे वृक्षारोपण कार्य का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण करने के निर्देश के

बावजूद कार्यान्वित योजनाओं का सही ढंग से निरीक्षण, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण नहीं करना तथा अपने कार्यों में लापरवाही बरतने के आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं।

उक्त आरोपों पर इनसे प्राप्त स्पष्टीकरण एवं इनके स्पष्टीकरण पर उपायुक्त, गुमला से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं०-2568(HRMS), दिनांक 15.10.2018 द्वारा श्री कुजूर के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई है।

संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-41, दिनांक 21.02.2019 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा जाँच एवं निष्कर्ष में अंकित किया गया कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी (आरोपी) के द्वारा स्वयंसेवी संस्थाओं को न तो राशि का भुगतान किया गया था और न राशि का भुगतान करने की अनुशंसा ही की गयी थी। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी (आरोपी) के कार्यालय में मस्टर रॉल की प्रविष्टि एम् आई एस में की गई थी न कि आरोपी के द्वारा स्वयं प्रविष्टि की गई थी। मस्टर रॉल में योजना स्थल का खाता, प्लॉट का भी कोई उल्लेख नहीं रहता है। ऐसी स्थिति में प्रखण्ड कार्यालय में मस्टर रॉल की प्रविष्टि एम् आई एस में होने के आधार पर यह मान लेना कि आरोपी को परिवर्तित योजना स्थल की जानकारी थी, युक्तिसंगत नहीं प्रतीत होता है। उभय पक्ष के द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के अनुसार इस बिन्दु पर कोई मतभेद नहीं है कि स्वयंसेवी संस्थाओं को राशि का भुगतान जिला स्तर से बिना प्रखण्ड विकास पदाधिकारी की अनुशंसा के ही किया गया था। अतः श्रीमती चुघ के द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन तथ्यों पर आधारित प्रतीत नहीं होता है। हाँ इतना स्पष्ट है कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के द्वारा स्वयंसेवी संस्थाओं को राशि विमुक्ति से संबंधित उक्त आदेशों तथा उप विकास आयुक्त, गुमला के पत्रांक-874(ii) दिनांक 06.08.2007 के अनुपालन में समय-समय पर स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा कार्यान्वित वृक्षारोपण योजनाओं की जाँच करते हुए आरोपी के द्वारा जाँच प्रतिवेदन नहीं भेजा गया जिसके लिए आरोपी दोषी प्रतीत होते हैं। आरोपी का यह कथन भी गैर जिम्मेदाराना प्रतीत होता है कि उन्हें प्राक्कलन तथा डी.पी.आर. नहीं उपलब्ध कराया गया था, इसलिये वे जाँच नहीं कर सके। आरोपी यदि जाँच करने के इच्छुक होते तो वे प्राक्कलन एवं डी.पी.आर. जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कार्यालय से प्राप्त कर वरीय पदाधिकारियों से जाँच के बिन्दु के संबंध में निदेश प्राप्त कर सकते थे। आरोपी का यह कृत्य सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम-3 (1)(ii)के प्रतिकूल है। अतः आरोपी के विरुद्ध आरोप आंशिक रूप से सही प्रतीत होता है।

श्री कुमार के विरुद्ध आरोप एवं संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत श्री कुजूर के विरुद्ध असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित करने के बिन्दु विभागीय पत्रांक-5842, दिनांक 13.11.2020 द्वारा उनसे द्वितीय कारण पृच्छा की गई।

उक्त के अनुपालन में श्री कुजूर के पत्रांक-24 (ii), दिनांक 11.01.2021 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया है। श्री कुजूर द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा में अंकित किया गया कि संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा कार्यान्वित वृक्षारोपण योजना का समय-समय पर उनके द्वारा प्रतिवेदन नहीं भेजा गया, के संबंध में उनका कहना है कि वृक्षारोपण योजनाओं की समय-समय पर जाँच की जाती रही एवं जाँच प्रतिवेदन उप विकास आयुक्त, गुमला को भेजा गया है। साक्ष्य के रूप में प्रेषित पत्र सं०-04/नरेगा, दिनांक 09.02.2009 संलग्न की गई है। उक्त योजना में बरती गयी अनियमिता के आलोक में स्वयंसेवी संस्थाओं के विरुद्ध घाघरा थाना में प्राथमिकी सं०-46/2008, दिनांक 22.06.2008 भी उन्हीं के द्वारा दर्ज करायी गयी है। उनके द्वारा

नियमित रूप से योजना का जाँच किया जाता रहा है। जिला समन्वय समिति की बैठक में भी इसकी लगातार समीक्षा की जाती रही है। उनके द्वारा निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण से संबंधित तथ्य को तत्कालीन उपायुक्त द्वारा भी स्वीकार किया गया है। साथ ही, द्वितीय कारण पृच्छा में यह भी अंकित किया गया है कि समान प्रकृति के आरोप में श्री बबलू मुर्मू, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को आरोप मुक्त किया जा चुका है।

श्री कुजूर के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, संचालन पदाधिकारी का मंतव्य एवं द्वितीय कारण पृच्छा में इनके द्वारा समर्पित तथ्यों की समीक्षा की गयी है। समीक्षा में पाया गया कि चूँकि श्री बबलू मुर्मू के मामले में संचालन पदाधिकारी आरोप को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है जबकि श्री कुजूर के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप को आंशिक रूप से सही प्रतीत होता है, बताया गया है।

समीक्षोपरांत, श्री संजय पी०एम० कुजूर, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, घाघरा के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम-14(iv) के तहत असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव उसकी पेंशन पर नहीं पड़ेगा।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	SANJAY P.M. KUJUR BHR/BAS/3592	श्री संजय पी०एम० कुजूर, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, घाघरा के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम-14(iv) के तहत असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री संजय पी०एम० कुजूर, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,

सरकार के संयुक्त सचिव।

जीपीएफ संख्या: BHR/BAS/3601
